



अंचल अधिकारी का कार्यालय SATBARWA , PALAMU (झारखंड)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (CEIs) में दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र सन्दर्भ संख्या : JHCSC/2021/50737 जारी करने की तिथि : 23/06/2021

प्रमाणित किया जाता है कि ABHISHEK KUMAR पिता RAJU MOCHI , ग्राम/नगर: KAMARU , थाना : SATBARWA , जिला/प्रमंडल PALAMU, राज्य/संघशासित प्रदेश JHARKHAND , निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति के अधीन CHAMAR जाति के सदस्य हैं।

संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 1950 , संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) अधिनियम, 1951 , संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) अधिनियम, 1951
(अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संघोपन) अधिनियम, 1956 , बंधे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 , फंजाव पुनर्गठन अधिनियम, 1966 , सिमावाल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित
संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 1956
संविधान (अंडमन और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति अधिनियम, अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति अधिनियम (संघोपन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1959 द्वारा यथासंशोधित
संविधान (उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जाति अधिनियम, 1962 , संविधान (उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1962
संविधान (पच्छिमी) अनुसूचित जाति अधिनियम, 1964 , संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) अधिनियम, 1967
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति अधिनियम, 1968 , संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1968
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1970 , संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति अधिनियम, 1978
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1978 , संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 1989
संविधान (एस्सम) अधिनियम, 1990 , संविधान (एस्सम) अधिनियम, 1991
संविधान (एस्सम) अधिनियम, 1991 , संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 2002 , संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 2002
संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 2002 , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघोपन) अधिनियम, 2002

2. ABHISHEK KUMAR तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर : KAMARU , थाना : SATBARWA , जिला/प्रमंडल : में निवास करते हैं।
3. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी: क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:

- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
- ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
- iii) राजस्व पदाधिकारी जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
- iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

Digitally signed by YUGESHWAR SINGH
अंचल अधिकारी SATBARWA, जिला/प्रमंडल हस्ताक्षर

स्थान : SATBARWA

तिथि : 23/06/2021